<u>न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी० द्वितीय), संतकबीरनगर।</u>

सरकार बनाम अर्चना व एक अन्य
एस.टी. संख्या–88/19
अ० संख्या–346/18
धारा–306 भा०दं०सं०
थाना–मेहदावल, जिला–संत कबीर नगर।

<u>28.10.2021</u>

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 7 ख नियत है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को प्रार्थना पत्र 7 ख पर पूर्व में सुना जा चुका है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थिनी/अभियुक्ता अर्चना द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता को प्रस्तुत मामले में डिस्चार्ज/उन्मोचित किया जाए।

प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र 7 ख प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि– प्रार्थनी/अभियुक्ता अर्चना मृतक स्व० गिरजाशंकर की पत्नी हूँ। वादी का यह कहना है कि स्व० गिरजाशंकर के मृत्यु के समय घर पर कोई नहीं था। सरासर गलत है, क्योंकि वादी ने अपने धारा– 161 दं०प्र०सं० के बयान में बताया है कि घर के सभी सदस्य और मैं घर के छत पर थे। छत से आवाज देकर लड़के गौरीशंकर, बहू अनीता और लड़की चन्द्रकला जब कोई आवाज नहीं आया तभी हम लोग छत से नीचे आये और देखे कि स्व० गिरजाशंकर की मृत्यु हो चुकी है। इस तरह स्व० गिरजाशंकर की मृत्यु साजिश के तहत श्यामदेव, अनीता, चन्द्रकला, गौरीशंकर ने किया और हम प्रार्थिनी के ऊपर गलत लान्छन लगाकर प्रार्थिनी के ऊपर एफ.आई.आर. करा दिया और पुलिस से मिलकर अपने रूपये का अनर्गल उपयोग करते हुए प्रार्थिनी और महेन्द्र के ऊपर चार्जशीट लगवा दिया। जबकि प्रार्थिनी महेन्द्र को जानती तक नहीं। मैं अपने घर के अन्दर रहती थी। कभी भी बाहर नहीं निकलती थी। घटना के समय मैं अपने मायके में थी। मैं दूसरे से संदेश पाने पर अपने पति को देखने अपने ससुराल पहुँची, तो प्रार्थिनी को हमारे साथ गयी औरतों को भी देखने नहीं दिया और न ही घर के अन्दर ही घुसने दिया, बल्कि पुलिस को बुलाकर गिरफ्तार करवा दिया, जबकि प्रार्थिनी ने कोई अपराध नहीं किया है। वादी अपने व अपने लड़की चन्द्रकला व पतोहू अनीता और लड़के गौरी शंकर को बचाने के लिए प्रार्थिनी के ऊपर गलत इल्जमा लगा करके प्रार्थिनी के ऊपर और महेन्द्र चौधरी के ऊपर एफ.आई.आर. लिखवा दिया और यह बता दिया कि इस लोगों से गलत सम्बन्ध था, जिसको मेरा लड़का देख लिया था। इसलिए वह मर गया, जबकि सत्यता यह है कि श्यामदेव और अनीता में गलत सम्बन्ध है, जिसको मैं व मेरे पति दोनों लोग देख लिये थे। इसलिए मेरे पति स्व० गिरजाशंकर को श्यामदेव अपने हवस को पूरा करने के लिए और अनीता, गौरीशंकर और चन्द्रकला को धन का लालच देकर अपने साथ मिला करके मेरे पति स्व० गिरजाशंकर को मेरे गैर मौजूदगी में जान से मार दिये और उसका इल्जाम मेरे सिर पर डाल दिये, जबकि प्रार्थिनी ने कोई अपराध नहीं किया है। ऐसी दशा में श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थिनी को डिस्चार्ट करने की कृपा करें।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क किया गया है कि विवेचक द्वारा विधिवत रूप से साक्षियों का साक्ष्य अन्तर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० अंकित करते हुए विवेचना पूर्ण की है और विधिवत रूप से विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। ऐसी स्थिति में जिन आधारों पर आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। उन अपराधों के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार दर्शित होते हैं।

न्यायालय द्वारा पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया और साथ ही सम्यक रूप से केस डायरी का भी परिशीलन किया गया।

धारा 227 दं०प्र०सं० के प्रवाधानों के अनुसार यदि मामले के अभिलेख तथा उसके साथ अन्य दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर और नामित अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवायी कर लेने के पश्चात न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा।

उक्त विधिक प्रावधान के अनुसार इस प्रकरण में पत्रावली तथा केस डायरी का सम्यक रूप से परिशीलन करने पर यह दर्शित होता है कि वादी मुकदमा श्यामदेव पुत्र पूर्णमासी साकिन–बढया, थाना–मेंहदावल, जिला–संत कबीर नगर का स्थायी निवासी है। वह अनुसूचित जाति का है। उसके दो लड़के हैं। उसका छोड़ा लड़का जिसका नाम गिरिजाशंकर है, वह शादीशुदा है। उसके लड़के गिरिजाशंकर ने दिनांक–23.12.2018 को समय करीब 2.30 बजे दोपहर जब घर पर कोई नहीं था उसी समय घर के अन्दर कमरे में अपने गले में दुपट्टा लगाकर आत्महत्या कर लिया। बाद मौत उसके पाकेट से एक पत्र मिला है, जिसमें लिखा है आदरणीय पापा मेरी मौत का जिम्मेदार मेरी बीवी (अर्चना) है। मैंने उसे अपने गांव का लड़का महेन्द्र चौधरी के साथ पकड़ा था। वह घर से जेवर व पैसा लेकर अपने भाई के साथ भाग गयी और मैं यह बेज़ती बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। उम्मीद करूंगा कि आप उनको सजा जरूर दिलायेंगे।

सुप्रिन्टेंडेंट एण्ड रिमेंम्ब्रेंसर ऑफ लीगल अफेयरस, वेस्ट बंगाल विरूद्ध अनिल कुमार भुन्जा ए०आई०आर० 1980 सु०को० 52 (एफ०बी०) में यह अवधारित किया है कि–"At this stage, as was pointed out by this Court in State of Bihar v. Ramesh Singh, AIR 1977 SC 2018, the truth, veracity and effect of the evidence which the prosecutor proposes to adduce are not to be meticulously judged. The standard of test, proof and judgment which is to be applied finally before finding the accused guilty or otherwise, is not exactly to be applied at the stage of Section 227 or 228 of the Code of Criminal Procedure, 1973. At this stage, even a very strong suspicion founded upon materials before the Magistrate, which leads him to form a presumptive opinion as to the existence of the factual ingredients constituting the offecne alleged; may justify the framing of charge against the accused in respect of the commission of that offence."

उक्त न्याय दृष्टान्त के अनुसार आरोप प्रक्रम के स्तर पर साक्ष्य की सत्यता तथा प्रकरण की सूक्ष्मता से विवेचना करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रम पर यदि अभियुक्तगण के द्वारा अपराध किये जाने के संदर्भ में संदेह भी उत्पन्न होता है तब भी अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप की विरचना की जा सकती है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत **स्टेट ऑफ एम०पी० विरूद्ध एस०बी० जैहरी (ए०आई०आर० 2000 सु०को० 665)** में यह अवधारित किया गया है कि–"It is settled law that at the stage of framing the charge, the Court has to prima facie consider whether there is sufficient ground for proceeding against the accused. The Court is not required to appreciate the evidenc and arrive at the conclusion that the materials produced are sufficient or not for convicting the accused. If the Court is satisfied that a prima facie case is made out for proceeding further then a charge has to be framed."

विधि प्रावधानों तथा न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में इस प्रकरण के बावत विचार किया जाये तो इस प्रकरण में विवेचक द्वारा अभियुक्तगण महेन्द्र चौधरी व अर्चना के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–**306 भा०दं०सं०** में विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त प्रकार से पत्रावली तथा विधिक प्रावधानों एवं उल्लिखित न्यायिक दृष्टांत का सम्यक रूप से परिशीलन करने के उपरांत अभियुक्तगण महेन्द्र चौधरी व अर्चना के विरुद्ध अन्तर्गत धारा– **306 भा०दं०सं०** का आरोप विरचित किये जाने का प्रथम दृष्टया आधार पर्याप्त है। अतः प्रार्थना पत्र संख्या–7 ख स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तदनुसार प्रार्थना पत्र संख्या–7 ख निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते विरचन आरोप दिनांक–20.11.2021 को पेश हो।

दिनांक 28.10.2021

(काशिफ शेख)
J.O. Code–UP02680
अपर सत्र न्यायाधीश(एफ०टी०सी० द्वितीय),
सन्त कबीर नगर।